राजस्थान सरकार
शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः–प.3(54)शिक्षा–4 / 2002पार्ट जयपुर, दिनांकः21.08.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
10. कुलसचिव, प.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलसचिव, जगद्गुरूरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 के संबंध में।
सन्दर्भः–इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 16.08.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा उदयपुर संभाग के अतिरिक्त शेष संभागो के लिए जारी छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम के बिन्दु संख्या 10 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

क्र.सं.	छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम	संशोधित तिथि
1.	मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाना (अपराह्न 01:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	04.09.2017 (सोमवार) (अपराह्न 01:00 बजे से)

ह0
(नाथूलाल सुमन)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री,उच्च शिक्षा, राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं सस्कृत शिक्षा, राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा, राज.जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा, राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
14. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान।
16. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

"

संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

कमांकः— निसंशि / शैक्ष— I / पं. 45 / छात्रसंघ चुनाव / 2017 / 30427-485 दिनांकः 22/8/2017

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय / निजी संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर संभाग के अतिरिक्त शेष संभागों को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव के कार्यकम के बिन्दु संख्या 10 में आंशिक संशोधन किया जाता है। उक्तानुसार कार्यवाही करावें।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,उच्च, तकनीकी एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी वेबसाईट, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

शिक्षा(ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः–प.3(54)शिक्षा–4 / 2002पार्ट जयपुर, दिनांकः18.08.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
3. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।

विषयः– विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 के संबंध में।
सन्दर्भः– विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 16.08.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत दिनांक 29 अगस्त 2017 को उदयपुर मुख्यालय पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यात्रा कार्यक्रम के कारण उत्पन्न हुई विशेष परिस्थितियों में उदयपुर संभाग(उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले) की उच्च शिक्षण संस्थाओं में छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार परिवर्तित किया जाता है:–

क्र.सं.	उदयपुर संभाग में छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम	निर्धारित तिथियां
1.	मतदाता सूचियों का प्रकाशन (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	28.08.2017 (सोमवार)
2.	मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक)	29.08.2017 (मंगलवार)
3.	मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन (अपराह्न 01:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)	29.08.2017 (मंगलवार)
4.	उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	30.08.2017 (बुधवार)
5.	उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जॉच एवं आपत्तियां प्राप्त करना (अपराह्न 03:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)	30.08.2017 (बुधवार)
6.	वैध नामांकन सूची का प्रकाशन (प्रातः 10:00 बजे से)	01.09.2017 (शुक्रवार)
7.	उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिया जाना (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्नः 2:00 बजे तक)	01.09.2017 (शुक्रवार)
8.	उम्मीदवारों की अन्तिम नामांकन सूची का प्रकाशन (अपराह्न 02:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)	01.09.2017 (शुक्रवार)
9.	मतदान (प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	04.09.2017 (सोमवार)
10.	मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों का शपथ दिलवाना (अपराह्न 02:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)	04.09.2017 (सोमवार)

ह0
(नाथूलाल सुमन)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राज.जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री,उच्च शिक्षा, राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं सस्कृत शिक्षा, राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा, राज.जयपुर।
6. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा, राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
12. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, उदयपुर को उनके पत्र कमांक 6581 दिनांक 17.08.2017 के कम में।
13. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर।
15. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
16. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान।
17. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

ह0

संयुक्त सचिव,उच्च शिक्षा

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

कमांकः— निसंशि / शैक्ष— I / पं. 45 / छात्रसंघ चुनाव / 2017 / 30303-315 दिनांकः 21/8/2017

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय / निजी संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर संभाग (उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले) राजस्थान को भेजकर लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव उक्तानुसार करावें।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग,राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,उच्च, तकनीकी एंव संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग,राजस्थान जयपुर।
5. प्रभारी वेबसाईट, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।

(विमल कुमार जैन)

IAS

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान–सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः– प.3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट/ जयपुर दिनांकः 24.07.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
10. कुलसचिव, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा।
14. कुलसचिव, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुल सचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यलाय, कोटा।

विषयः–विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 के संबंध में।

सन्दर्भः–लिंगदोह समिति सिफारिश जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.06.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस सदर्भ में समय–समय पर जारी निर्देशों के कम में राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ पदाधिकारियों के चुनाव हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. छात्रसंघ के सभी चुनाव लिंगदोह समिति की अनुशंषाओं के आधार पर होंगे एवं समस्त/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेगें कि लिंगदोह समिति की अनुशंषाओं की अक्षरशः पालना की जाये।
2. चुनाव लड़ने वाले समस्त उम्मीदवार अपना कैम्प विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के परिसर में ही प्रशासन की अनुमति से स्थापित करेगें।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर के बाहर चुनाव प्रचार एवं चुनाव संबंधी सभी प्रकार की गतिविधियां (लिंगदोह समिति की अनुशंषा के अनुसार) प्रतिबंधित रहेंगी।
4. निष्पक्ष एंव शांतिपूर्ण चुनाव सम्पादित करवाने के लिए विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) एवं मुख्य चुनाव अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
5. छात्रसंघ के चारो पदों यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महा सचिव, संयुक्त संचिव पर प्रत्यक्ष (सीधे) चुनाव होंगे।
6. चुनाव लड़ने के लिए योग्यता निम्नानुसार होगीः–

क्र. सं.	पद	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1.	अध्यक्ष एवं महासचिव	स्नातकोत्तर कक्षाओं में अथवा चतुर्वर्षीय/पंचवर्षीय पाठ्यकम के चतुर्थ वर्ष/पंचम वर्ष में अध्ययनरत छात्र	स्नातक तृतीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र
2.	अन्य पद(उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव)	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र	स्नातक द्वितीय वर्ष में अथवा उपरी कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र

7. प्रथम वर्ष के छात्र केवल कक्षा प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ेगें अन्य पदों के लिए नहीं किन्तु त्रिवर्षीय विधि स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगे।

8. विश्वविद्यालय में अपेक्स छात्रसंघ एवं संघटक महाविद्यालयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में केवल कक्षा प्रतिनिधि पद के लिए चुनाव होगा तथा विभागों के अध्यक्ष पद एवं अन्य पदों के लिए चुनाव नहीं होगा।. शैक्षणिक विभागों में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनयन के माध्यम से ही छात्रसंघ का गठन किया जाएगा।

9. समस्त विश्वविद्यालयों में एम.फिल.,पीएच.डी. आदि के लिए शोध कर रहे विद्यार्थी केवल शोध प्रतिनिधि के पद का ही चुनाव लड़ सकेंगे और इसी के लिए मतदान कर सकेंगे।

10. सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष रहेंगी। केवल स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए एवं शोध छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष होगी।

11. सभी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन एवं छात्रसंघ यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव तिथि से एक माह की अवधि में अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रशासन की सहमति से छात्रसंघ का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाये तथा एक ही कार्यक्रम आयोजित किया जाये।

ह0

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एंव उद्यमिता विभाग।
12. निदेशक, सूचना एंव जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लाक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग. जयपुर।
14. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान।
16. प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

ह0

अनुभागाधिकारी, उच्च शिक्षा

निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर

कमांकः– निसंशि/शैक्ष– I/पं. 45/छात्र संघ चुनाव/2017/29222–82 दिनांकः 3|8|2017

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय/अराजकीय आचार्य/शास्त्री/शिक्षा शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 लिंगदोह समिति के आधार पर उक्तानुसार करवाये जायेगें।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर को पत्रांक पं.3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट दिनांक 24.07.2017 के कम में।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वेब साईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

अत्यावश्यक / छात्र संघ चुनाव

राजस्थान–सरकार

निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141–2704357 : 0141–2704358 email : dir-sans-rj@nic.in

क्रमांकः– निसंशि / शैक्ष– I / छात्र संघ चुनाव / 2017 / 29947-30,008 दिनांकः– 17/8/2017

प्राचार्य
समस्त राजकीय / अराजकीय, आचार्य / शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः– महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव 2017 सम्पन्न करवाने बाबत।
सन्दर्भः–संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग का पत्रांक 3(54) शिक्षा–4 / 2002 पार्ट, जयपुर दिनांक 16.08.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिनांक 28.08.2017 को छात्र संघ चुनाव 2017 के संबंध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराने हेतु कार्यकम जारी किया है। (प्रति संलग्न है)

अतः विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पालना करते हुए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराते हुए छात्र संघ चुनाव 2017 निर्धारित कार्यकमानुसार सम्पन्न करावें, एवं छात्र संघ चुनाव परिणाम की घोषणा के तत्काल बाद चुनाव प्रकिया सम्पन्न होने एवं निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम फैक्स / दूरभाष द्वारा निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(विमल कुमार जैन)
IAS
निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीया उच्च एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं सस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप–4) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वेब साईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।
7. संरक्षण पंजिका।

(डॉ. सत्यनारायण शर्मा)
संयुक्त निदेशक
संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

Urgent

Acd. officer. I

Pl. inform to all colleges.

17/8/17

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

कमांकः प. 3(54) शिक्षा–4/2002 पार्ट   जयपुर,   दिनांकः 16.08.2017

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
2. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
3. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर ।
4. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
5. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा ।
7. कुलसचिव, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर ।
8. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा ।
9. कुलसचिव, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
10. कुलसचिव, प.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
11. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
12. कुलसचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
13. कुलसचिव, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा।
14. कुलसचिव, जगद्‌गुरूरामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
15. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

विषयः–विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव 2017–18 के संबंध में।

सदर्भः–लिंगदोह समिति सिफारिश जिन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया एवं विभाग द्वारा जारी किये गये आवश्यक निर्देश दिनांक 25.06.2010

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित लिंगदोह समिति की सिफारिशों एवं विभाग द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष सम्पूर्ण राजस्थान राज्य की उच्च शिक्षण संस्थाओं में दिनांक **28.08.2017 (सोमवार)** को छात्रसंघ चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया हैः–

Scanned by CamScanner

छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम 2017

क्र.सं.	छात्रसंघ चुनाव कार्यक्रम	निर्धारित तिथियां
1.	मतदाता सूचियों का प्रकाशन (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	21.08.2017 (सोमवार)
2.	मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्राप्त करना (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक)	22.08.2017 (मंगलवार)
3.	मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन (अपराह्न 01:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक)	22.08.2017 (मंगलवार)
4.	उम्मीदवारी हेतु नामांकन पत्र दाखिल करना (प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक)	23.08.2017 (बुधवार)
5.	उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच एवं आपत्तियां प्राप्त करना (अपराह्न 3:00 से सांय 5:00 बजे तक)	23.08.2017 (बुधवार)
6	वैध नामांकन सूची का प्रकाशन (प्रातः 10:00 बजे से)	24.08.2017 (गुरूवार)
7.	उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लिया जाना (पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक)	24.08.2017 (गुरूवार)
8.	उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन (अपराह्न 02:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक)	24.08.2017 (गुरूवार)
9.	**मतदान** **(प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)**	28.08.2017 (सोमवार)
10.	**मतगणना एवं चुनाव परिणामों की घोषणा तथा विजयी उम्मीदवारों का शपथ दिलवाना** **(अपराह्न 02:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)**	28.08.2017 (सोमवार)

विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 24.07.2017 में निम्नानुसार स्पष्टीकरण एतदद्वारा जोडा जाता है:–

बिन्दु संख्या 7 के स्पष्टीकरण

स्नातकोत्तर एवं त्रिवर्षीय विधि स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र जिस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग अथवा उसके संगठक/सम्बद्धक महाविद्यालय में अध्ययनरत है उन्होंने उसी विश्वविद्यालय से नियमित छात्र के रूप में (अर्हकारी) स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की हो तभी वे छात्र संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव पदों पर चुनाव लड़ने योग्य माने जायेंगे। यदि त्रिवर्षीय विधि स्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत किसी छात्र ने अन्य

Scanned by CamScanner

विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है तो वह सामान्य स्नातक छात्र ही माना जायेगा।

<u>बिन्दु संख्या 8 के बाद स्पष्टीकरण</u>

विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में अध्ययनरत छात्र कक्षा प्रतिनिधि के साथ–साथ अपेक्स छात्रसंघ पदाधिकारियों की चुनाव प्रक्रिया में भी भाग ले सकेंगे।

(नाथूलाल सुमन)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान,राजभवन जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री,राज.जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक मा.मंत्री, उच्च शिक्षा,राज.जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा,राज.जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि शिक्षा,राज.जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ,चिकित्सा शिक्षा,राज.जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद शिक्षा,राज.जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
13. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, ब्लॉक–6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर।
14. समस्त कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. समस्त कुलसचिव, मानद विश्वविद्यालय, राजस्थान।
16. प्रभारी वेबसाईट, आयक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned by CamScanner